

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-3B ले-आउट प्लान स्वीकृति पत्र

मै0 पैराडाईज टाउन क्रियेटर्स प्रा0 लि0,
पंजीकृत कार्यालय शॉप न0 30 सैक्टर 22,
गुडगावं हरि0।

विषय:- मै0 पैराडाईज टाउन क्रियेटर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री जगत सिंह राना पुत्र स्व0 श्री कबूल सिंह पंजीकृत कार्यालय शॉप न0 30 सैक्टर 22 गुडगावं हरि0 द्वारा ग्राम कोलिलासांगा तह0 नीमराना जिला अलवर के खसरा नं0 79, 80, 98, 81/832 कुल किता 04 क्षेत्रफल 25245.57 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3-B के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक मै0 पैराडाईज टाउन क्रियेटर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री जगत सिंह राना पुत्र स्व0 श्री कबूल सिंह पंजीकृत कार्यालय शॉप न0 30 सैक्टर 22 गुडगावं हरि0 द्वारा ग्राम कोलिलासांगा तह0 नीमराना जिला अलवर के खसरा नं0 79, 80, 98, 81/832 कुल किता 04 क्षेत्रफल 25245.57 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3-B के तहत ले-आउट प्लान प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री जन आवास योजना समिति की बैठक दिनांक 21.07.2023 मे रखा जाकर समिति के निर्णय अनुसार तथा उद्योग(ग्रुप-1) विभाग के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति पत्र दिनांक 25.05.2023 के अनुसार ले-आउट प्लान को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. टाउनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015, बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 एवं संबंधित परिपत्रों के प्रावधानों की पालना में विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
2. योजना में 5774.43 वर्ग मी0 का फ्लेटेड आवासीय क्षेत्र आरक्षित है, जिसमें विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर 60 प्रतिशत EWS एवं 40 प्रतिशत LIG ईकाईयों का निर्माण कर ही बेचान किया जावेगा।
3. ले-आउट प्लान मे प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों मे भवन निर्माण कार्य किए जाने से पूर्व भवन विनियमो के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण स्वीकृति ली जावेगी, एवं भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।
4. योजना में समस्त आन्तरिक विकास ड्रैनेज, पीने का पानी, विद्युत, पार्क, सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, वर्षा जल संग्रहण एवं अन्य सुविधाओं का विकास विकासकर्ता को मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं टाउनशिप नीति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो एवं सम्बंधित विभागो के मापदण्डो के तहत सुनिश्चित करना होगा।
5. सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन बीडा द्वारा नियमानुसार कराया जावेगा।
6. विकासकर्ता द्वारा तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण मे योजना के विकास कार्य करवाये जावेंगे।
7. विकास कर्ता द्वारा आमजन को सूचित करने हेतु योजना मे उपयुक्त स्थल पर स्वीकृत ले-आउट प्लान के मानचित्र का बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

8. आन्तरिक विकास सुनिश्चित किए जाने बाबत विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजना में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे गये है। रहन रखे गये भूखण्डों को ले-आउट प्लान में दर्शाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्डों का बेचान/आवंटन योजना में विकास कार्य करवाये जाने के पश्चात बीडा से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत की किया जावेगा।
9. टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार टेलीकॉम टॉवरो के निर्माण के प्रावधान किए जाने होंगे।
10. परियोजना में स्वीकृत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार किया जाना होगा।
11. वर्षा जल संग्रहण संरचना तथा स्नानघर एवं रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रीसाइकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
12. सभी सड़कों के दोनो तरफ न्यूनतम 30 वृक्ष प्रति एकड लगाये जाने होंगे। 5 फीट अथवा उससे अधिक ऊँचाई के वृक्ष लगाये जाने होंगे। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार सभी पार्क विकसित तथा रखरखाव किये जाने होंगे।
13. योजना की क्रियाविन्ति के समय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम एवं नियंत्रण अधिनियम 1961 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने विभागों आदि के सभी संबंधित प्रावधानों की दृढ़ता पूर्वक विकासकर्ता द्वारा पालना की जावेगी।
14. ले-आउट प्लान जारी करने के उपरांत अन्य शुल्क/बकाया राशि को बीडा द्वारा मांग की जाने पर विकासकर्ता द्वारा उक्त राशि बीडा कोष में जमा करानी होगी।
15. ले-आउट प्लान में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जावेगा।
16. उक्त स्वीकृति के कारण यदि बीडा को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के सक्षम किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
17. योजना का विकास मुख्यमंत्री जन आवास योजना में वर्णित अवधि 30 माह में पूर्ण करना होगा।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालना नहीं होने पर ले-आउट प्लान की अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।


संलग्न:- ले-आउट प्लान

- Sd -
उप नगर नियोजक
बीडा भिवाडी

क्रमांक/आयोजना/बीडा/

दिनांक

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता बीडा भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप नगर नियोजक
बीडा भिवाडी

